

प्रेषक,

निवेदिता शुक्ला वर्मा,

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

खाद्य एवं रसद अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक 04 सितम्बर, 2018

विषय:- खरीफ विपणन वर्ष 2018-19 में धान क्रय हेतु किसानों के पंजीकरण को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इन्टीग्रेशन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-34/2017/2937(1)/78-2-2017-53 आई0टी0/2012 टीसी-4, दिनांक 14-11-2017 द्वारा प्रदेश के समस्त विभागों की आम जनमानस से संबंधित सेवायें इलेक्ट्रानिक माध्यम से उपलब्ध कराया जाना एवं उन सेवाओं को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इन्टीग्रेट किया जाना राज्य सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक है, जिससे संबंधित आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं तथा आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-11/2016/11/78-2-2016-34 आई0टी0/2010, दिनांक 04-02-2016 द्वारा खुली निविदा के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट सर्विस प्रोवाइडर (डी0एस0पी0) के रूप में छः संस्थाओं का चयन किया गया है। इस कार्य हेतु रू0 20 यूजर चार्जेज अनुमन्य किये गये हैं।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि खाद्य एवं रसद विभाग का पोर्टल जनसेवा केन्द्र से इन्टीग्रेटेड है तथा वर्तमान में राशन कार्ड से संबंधित सेवायें जनसेवा केन्द्रों के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही हैं। अतः खरीफ विपणन वर्ष 2018-19 में धान क्रय हेतु किसानों के पंजीकरण को विभाग के पोर्टल fcs.up.nic.in पर 25-07-2018 से संचालित है, को जनसेवा केन्द्र के माध्यम से कराये जाने हेतु प्रदेश में संचालित ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इन्टीग्रेटेड सेवाओं को उपलब्ध कराये जाने की अनुमति निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की जाती है:-

- i. उक्त सेवाओं को आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा मान्यता प्राप्त कॉमन सर्विस सेन्टर्स यथा-जन सेवा केन्द्रों/लोकवाणी केन्द्रों/ई-सुविधा केन्द्रों/जन सुविधा केन्द्रों के माध्यम से आम जनमानस को उपलब्ध कराया जाएगा।
- ii. अधिकृत केन्द्रों की सूची कॉमन सर्विस सेन्टर्स द्वारा खाद्य विभाग को उपलब्ध करायी जाएगी जिसे खाद्य विभाग की वेबसाइट fcs.up.nic.in पर जन सूचनार्थ प्रदर्शित किया जाएगा।
- iii. कॉमन सर्विस सेन्टर्स द्वारा ऑनलाइन माध्यम से उक्त सेवाओं को प्रदान किये जाने हेतु समस्त आवश्यक औपचारिकताओं/व्यवस्थाओं को पूर्ण करने की कार्यवाही की जाएगी।
- iv. आवेदक के अनुरोध पर कॉमन सर्विस सेन्टर्स के अधिकृत आपरेटर द्वारा ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से खाद्य विभाग के पोर्टल पर दी गयी आवेदन की प्रक्रिया तथा फीस भुगतान की व्यवस्था अनुपालन किया जाएगा एवं खाद्य विभाग के वेब पोर्टल पर प्रदर्शित फीस धनराशि को उसी वेब पोर्टल से लिंकड स्टेट बैंक आफ इण्डिया के आनलाइन बैंकिंग पोर्टल www.onlinesbi.com का प्रयोग कर राज्य सरकार के खाते में क्रेडिट किया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- v. किसी आवेदन की प्रक्रिया को "पूर्ण" (complete) तब माना जाएगा जब खाद्य एवं रसद विभाग के वेब पोर्टल से उस आवेदन के सापेक्ष फीस की धनराशि की ई-रसीद जनरेट कर दी जाये।
  - vi. यूजर चार्जेज- प्रत्येक सफल ट्रान्जेक्शन पर कॉमन सर्विस सेन्टर्स द्वारा आवेदनकर्ता से निर्धारित यूजर चार्ज रू0 20/- (बीस मात्र सभी कर सहित) का शुल्क लिया जाएगा तथा कॉमन सर्विस सेन्टर्स द्वारा तत्सम्बन्धी प्राप्ति रसीद आवेदनकर्ता को दी जाएगी।
  - vii. अगर कोई नागरिक सीधे विभागीय पोर्टल पर सेवा हेतु आवेदन करता है तो उस पर उपरोक्त यूजर चार्जेज लागू नहीं होंगे।
  - viii. कॉमन सर्विस सेन्टर्स के माध्यम से आम जनमानस को उपलब्ध करायी जाने वाली खाद्य विभाग की सेवाओं के सापेक्ष देय गुड्स एण्ड सर्विस टैक्स(जीएसटी) अथवा कोई अन्य शुल्क का वहन कॉमन सर्विस सेन्टर्स द्वारा स्वयं किया जाएगा, खाद्य विभाग पर इसकी कोई देयता नहीं होगी।
  - ix. आवेदकों की जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेन्टर्स द्वारा अपने सभी अधिकृत केन्द्रों पर आवेदन की प्रक्रिया का पूर्ण विवरण, यूजर चार्जेज का विवरण तथा आवेदक को कॉमन सर्विस सेन्टर्स के द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले प्रपत्रों (यथा-आनलाइन आवेदन की प्रिन्टेड प्रति, भुगतान की गयी फीस की ई-रसीद, कॉमन सर्विस सेन्टर्स द्वारा रू0 20/- की प्राप्ति रसीद) का विवरण उचित स्थान पर प्रदर्शित कराया जाएगा।
- 3- ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से आये आवेदनों को विभागीय सक्षम अधिकारी द्वारा उसी तरह प्रॉसेस किया जाएगा, जिस तरह वह वर्तमान में अपने विभागीय पोर्टल पर प्रॉसेस कर रहे हैं।
- 4- उपरोक्तानुसार समस्त कार्यवाहियाँ शीर्ष प्राथमिकता पर पूर्ण कराकर कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

(निवेदिता शुक्ला वर्मा)  
प्रमुख सचिव।

संख्या-02/2018/943/29-4-2018, तद्विनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उ0प्र0 शासन।
- 2- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
- 3- अपर मुख्य सचिव, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 4- राज्य समन्वयक, सेन्टर फॉर ई-गवर्नेंस, उ0प्र0, लखनऊ।
- 5- स्टेट इन्फार्मेटिक्स आफिसर, एनआईसी, योजना भवन, लखनऊ।
- 6- हेड, एस.ई.एम.टी., उ0प्र0।
- 7- समस्त संभागीय खाद्य नियंत्रक, उ0प्र0।
- 8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अखण्ड प्रताप सिंह)  
विशेष सचिव।